

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग विदिशा

क्रमांक 4244

/त.शा./2019-20/

विदिशा, दिनांक 7/08/19

प्रति,

✓ कलेक्टर
जिला विदिशा

विषय:- जिला विदिशा अंतर्गत लटेरी मुण्डेला नजीराबाद मार्ग के निर्माण/उन्नयन के संबंध में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु ।

जिला विदिशा के अंतर्गत लटेरी मुण्डेला नजीराबाद मार्ग का निर्माण/उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 8.27 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होगी। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रभावित वन भूमि के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को समतुल्य गैर वन भूमि दी जाना होती है।

अतः अनुरोध है कि 8.27 हेक्टेयर वन भूमि के बदले समतुल्य 8.27 हेक्टेयर गैर वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग, संभाग विदिशा

पू.क्रमांक 4245

/त.शा./2019-20/

विदिशा, दिनांक 7/08/19

प्रतिलिपि:-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध), म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

- हस्ता. -

कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग, संभाग विदिशा